Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur - 492 001 (C.G.)
Ph.0771-4073568, Fax: 4073553
Website: www.cserc.gov.in, E-mail: cserc.sec.cg@nic.in;

NOTICE FOR INVITING OBJECTIONS/SUGGESTIONS AND PUBLIC HEARING ON RETAIL ELECTRICITY TARIFF OF BHILAI TOWNSHIP AREA

M/s Bhilai Steel Plant-Town Electrical & Engineering Department (BSP-TEED), a distribution licensee in its area of operations in Bhilai, has filed a petition for approval of true-up of FY 2023-24 and determination of retail tariff for FY 2025-26 under Sections 86 (1) (a) and 62 of Electricity Act, 2003 read with CSERC (Terms and Conditions of determination of tariff according to Multi-Year Tariff Principle and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and charges) Regulations, 2021. This petition is registered as petition No.04 of 2025. Gist of the petition was published on 06/03/2025 for inviting objections/suggestions from stake holders. This petition is available on the Commission's website ***www.cserc.gov.in*** since the date of publication of gist. Though sufficient time has been given to stakeholders/public for filing objections/suggestions on above petitions, stakeholders may still file their objections/suggestions till the date of hearing.

The Commission has decided to conduct a public hearing on the above petition at the Commission's court room at Raipur on 20/06/2025 at 05:00 p.m. Changes in hearing schedule, if any, shall be updated on the Commission's website www.cserc.gov.in.

SECRETARY

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर 492001
फोन नं. ***0771-4073568*** फैक्स ***4073553***
वेब साईट *www.cserc.gov.in* ई–मेल *: cserc.sec.cg@nic.in*

भिलाई स्टील प्लान्ट टाउनशिप एरिया हेतु खुदरा विद्युत दर पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने एवं जन–सुनवाई हेतु सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 86(1)(ए) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहु–वर्षीय टैरिफ सिद्धांत के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के नियम और शर्तें और टैरिफ और शुल्कों से अपेक्षित राजस्व के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया) विनियम, 2021 के अनुपालन में बीएसपी–टीईईडी द्वारा वर्ष 2025–26 में खुदरा दर निर्धारण एवं वर्ष 2023–24 के ट्रू–अप हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है जिसे याचिका क्रमांक 04/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया है। याचिका पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु याचिका का सारांश दिनांक 06/03/2025 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। याचिका आयोग की वेबसाईट ***www.cserc.gov.in*** पर सारांश प्रकाशन की दिनांक से उपलब्ध है। यद्यपि याचिका पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया था तथापि याचिका पर आपत्ति/सुझाव जन सुनवाई की तिथि तक प्रस्तुत की जा सकती है।

आयोग द्वारा उक्त याचिका पर आयोग के कोर्ट रूम में दिनांक 20/06/2025 समय सायं 05:00 बजे जन–सुनवाई की जावेगी। उपरोक्त जन–सुनवाई की तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसे आयोग की वेबसाइट ***www.cserc.gov.in*** के माध्यम से सूचित की जाएगी।

सचिव